

सं.एफ-5/2/2019-सामान्य अनुभाग

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

(सामान्य अनुभाग)

कमरा नं. 707, 'ए' विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 27.10.2020

निविदा सूचना

विषय: शास्त्री भवन एवं राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, 7-ई, रायसीना रोड, नई दिल्ली में स्थित पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय)में वूलन कालीनों, सोफा सेट, कुशन वाली कुर्सियों, पर्दों, ब्लाइंडों आदि की ड्राईक्लीनिंग/धुलाई के लिए वार्षिक दर पर अनुबंध।

पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन और राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, 7-ई, रायसीना रोड, नई दिल्ली में अवस्थित पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में वूलन कालीनों, सोफा सेट, कुशन वाली कुर्सियों, पर्दों, ब्लाइंडों आदि की ड्राई क्लीनिंग/धुलाई के लिए वार्षिक दर पर अनुबंध करने के लिए इच्छुक है। इस संबंध में इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे उक्त मदों (वस्तुओं की ड्राई क्लीनिंग) हेतु दर संबंधी अपनी कोटेशन सीलबंद लिफाफे में सहायक निदेशक (प्रशा.), पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय), कमरा संख्या-221, दूसरा तल, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, 7-ई- रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 को दिनांक 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक अथवा उससे पहले भेज दें। कोटेशन उसी दिन कमरा संख्या-221, एनएमसी, नई दिल्ली-01 में अपराह्न 3:30 बजे इच्छुक बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। कोटेशन श्री आर.के.पिल्लई, सहायक निदेशक (प्रशा.), पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय), कमरा संख्या-221, दूसरा तल, राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, 7-ई, रायसीना रोड, नई दिल्ली-01 को संबोधित की जाएं।


2. पत्र सूचना कार्यालय (मुख्यालय) में जिन वस्तुओं का ड्राई क्लीनिंग सफाई किया जाना अपेक्षित है, वे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	मद
1.	कार्पेट
2.	सोफा सेट
3.	कुर्सी
4.	पर्दे
5.	वर्टिकल ब्लाइंड्स
6.	कुशन
7.	ढीला सोफा कवर
8.	तौलिया
9.	बेडशीट

10.	पिलो कवर
11.	कार सीट कवर
12.	कुर्सी कवर
13.	कार्पेट पेस्टिंग

3. अनुबंध की नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

- i. फर्म के सभी कार्मिकों को काम की अधिकता के आधार पर सभी कार्य दिवसों और अवकाश दिवसों पर टेलीफोन कॉल पर उपलब्ध रहना अपेक्षित है।
 - ii. तत्काल आवश्यकता होने पर, ठेकेदार को अपेक्षित स्थल पर छुट्टियां/शनिवार/रविवार को भी सेवाएं देनी होंगी। इस संबंध में लापरवाही करने की स्थिति में कार्यालय द्वारा उचित समझे जाने पर ठेकेदार के खिलाफ अनुबंध को समाप्त करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
 - iii. जिम्मेदार कर्मचारियों को व्यवस्था करनी चाहिए और ठेकेदार ; कर्मचारियों के आचरण/अखंडता/उनके द्वारा तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्यालय उपकरण/मशीनरी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कार्यालय की संपत्ति का कोई भी नुकसान ठेकेदार के खाते से वसूल किया जाएगा।
 - iv. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा और समान दरों, नियमों और शर्तों पर फर्म के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे दो वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
4. किसी भी विवाद के मामले में, सक्षम प्राधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. सक्षम प्राधिकारी को कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय अनुबंध/अनुबंध के हिस्से को रद्द करने का अधिकार है।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी कोटेशन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है।



(मनोज कुमार निर्भीक)

उप निदेशक (सामान्य अनुभाग)

दूरभाष सं. 23382558

सेवा में,

- 1 एनआईसी, प.सू.का., शास्त्री भवन से अनुरोध है कि पत्र सूचना कार्यालय के वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज़ अपलोड करने की व्यवस्था करें।